**कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,**
**कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।**

**संख्या 1108 /अधिष्ठान / दो–29 / 2022–23** **दिनांक 06 जनवरी, 2023**

## कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 तथा अधिनियम की धारा–27 के अधीन प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 306 दिनांक 28.09.2022 एवं पत्रांक 87650 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा निर्गत नीति / मानकों तथा दुर्गम क्षेत्र में तैनात कुछ कार्मिकों के द्वारा सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या 2383 / 2022 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा ऐतद्विषयक प्रत्यावेदनों पर विचार कर 3 सप्ताह के अन्दर निर्णय लेने सम्बन्धी पारित आदेश दिनांक 19.12.2022 के आलोक में परिवहन आयुक्त / विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई।

**2.** उक्त समिति द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत **'मुख्य प्रशासनिक अधिकारी'** संवर्ग में तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सेवा विवरणों / तथ्यों का संज्ञान लिया गया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में कुल कार्यरत 13 कार्मिकों के सापेक्ष अनुमोदित मानकों के अनुसार अधिकतम् 04 कार्मिकों का स्थानान्तरण किया जाना अनुमन्य है। वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों में से सुगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 04 कार्मिक एवं दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 03 कार्मिक, इस प्रकार कुल 07 कार्मिक अनुमोदित मानकानुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र है, किन्तु चूंकि अधिकतम 04 कार्मिकों का ही स्थानान्तरण अनुमन्य है, अतः सुगम एवं दुर्गम में तैनात पात्र कार्मिकों के मध्य अनुपात के साथ–साथ दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों तथा कुछ कार्मिकों को स्थानान्तरण हेतु अनुमन्य छूट के आलोक में सुगम से दुर्गम क्षेत्र में 01 कार्मिक एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु इच्छुक 02 कार्मिकों, इस प्रकार कुल 03 कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई।

**3.** स्थानान्तरण हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त विवरण यथाप्रक्रिया सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी और उसके सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सेवा विवरणों को दिनांक 20.10.2022 को अंतिम करते हुए उन्हें सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार, अंतिम किये गये सेवा विवरणों का ही संज्ञान स्थानान्तरण समिति द्वारा लिया गया।

**4.** सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निर्मित पात्रता सूची के क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित कार्मिक को संघ पदाधिकारी होने तथा क्रमांक 4 को चिकित्सा आधार पर स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार, दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के क्रमांक 01 पर अंकित कार्मिक को उनके दुर्गम में ही रहने के इच्छुक होने के आधार पर उन्हें स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इन कार्मिकों को छोड़कर पात्रता सूची में अंकित अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अधिनियम / नीति में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उनके विकल्पों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त स्थानान्तरण पर उनकी तैनाती के नवीन पद / कार्यालय के संदर्भ में संस्तुति दी गई है।

**5.** उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर परिवहन विभाग के अंतर्गत **'मुख्य प्रशासनिक अधिकारी'** संवर्ग में तैनात निम्नवत् कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित पद / कार्यालय के सापेक्ष किया जाता हैः–

**क. सुगम से दुर्गम :**

| क्र. सं. | कार्मिक का नाम (सर्वश्री) | पात्रता सूची में क्रमांक | नियत तिथि को सुगम क्षेत्र में कुल सेवा | वर्तमान तैनाती स्थल / कार्यालय | स्थानान्तरण / नवीन तैनाती का स्थल / कार्यालय | संस्तुति / अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | लक्ष्मी कश्यप | 3 | 25 वर्ष 08 माह | सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी | सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा | प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विकल्प सुगम में होने के कारण पंचम विकल्प आवंटित। |

ख. दुर्गम से सुगम :

| क्र. सं. | कार्मिक का नाम (सर्वश्री) | पात्रता सूची में क्रमांक | नियत तिथि को दुर्गम क्षेत्र में / एक स्थल पर कुल सेवा | वर्तमान तैनाती स्थल / कार्यालय | स्थानान्तरण / नवीन तैनाती का स्थल / कार्यालय | संस्तुति / अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पान सिंह रावत | 2 | 06 वर्ष 07 माह 05 दिन | उप संभागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ़ | संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी | प्रथम विकल्प आबंटित। |
| 2 | सुरेखा सपालोक | 3 | 03 वर्ष 10 माह 19 दिन (वर्तमान स्थल पर) | उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी | संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून | प्रथम विकल्प आबंटित। |

6. उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने नवीन तैनाती के स्थल / कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
परिवहन आयुक्त।

संख्याः 1108 (1) / समदिनांकित्।

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—**

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रीजी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित आहरण—वितरण अधिकारी।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
परिवहन आयुक्त।